भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2698
उत्तर देने की तारीख 07 अगस्त, 2024

संचार सेवाओं का विनियमन

2698. श्री बैजयंत पांडाः

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने संचार सेवाओं की गुणवत्ता और सामर्थ्य में सुधार के लिए कोई नया विनियमन या नीति शुरू की है;
(ख) यदि हां, तो इन विनियमनों, जिसमें लक्षित विशिष्ट सेवाएं भी शामिल हैं का ब्यौरा क्या है;
(ग) उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करने और सेवा प्रदाताओं द्वारा निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं; और
(घ) इन विनियमनों के उल्लंघन के मामले में सेवा प्रदाताओं के लिए दंड क्या हैं?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) और (ख) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा दिनांक 2 अगस्त, 2024 को संशोधित विनियम "एक्सेस (वायरलाइन और वायरलेस) और ब्रॉडबैंड (वायरलाइन और वायरलेस) सेवा की सेवा गुणवत्ता के मानक विनियम, 2024 (2024 का 06)" जारी किए गए हैं। ये विनियम एक्सेस (वायरलाइन एवं वायरलेस) और ब्रॉडबैंड (वायरलाइन एवं वायरलेस) सेवाओं पर लागू हैं और दिनांक 1 अक्टूबर, 2024 से प्रभावी होंगे। इन विनियमों की प्रति ट्राई की वेबसाइट के लिंक https://trai.gov.in/sites/default/files/regulation_02082024.pdf पर उपलब्ध है।

इसके अलावा सरकार ने दूरसंचार अवसंरचना की तीव्र एवं सुगम स्थापना को सरल बनाने के लिए दिनांक 17 अगस्त, 2022 और 07 अगस्त, 2023 को भारतीय तार मार्ग के अधिकार (आरओडब्ल्यू) नियम, 2016 में संशोधन किए गए हैं। यह संशोधन 5जी स्मॉल सेल, मौजूदा स्ट्रीट अवसंरचना पर ऑप्टिकल फाइबर केबल की स्थापना के लिए मार्ग प्रशस्त करते

हैं और दूरसंचार लाइसेंसधारकों द्वारा मार्ग के अधिकार की अनुमतियों के लिए दिए जाने वाले शुल्क और प्रभारों को युक्तिसंगत बनाते हैं।

(ग) दूरसंचार उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए ट्राई द्वारा दिनांक 06 जनवरी, 2012 को "दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण विनियम, 2012 (2012 का 02)" संबंधी विनियमन अधिसूचित किया गया।

(घ) "एक्सेस (वायरलाइन और वायरलेस) और ब्रॉडबैंड (वायरलाइन और वायरलेस) सेवा की सेवा गुणवत्ता के मानक विनियम, 2024" की धारा-VIII इन विनियमनों की अनुपालना करने में विफल होने के परिणामों से संबंधित प्रावधान उपलब्ध कराती है।

****